न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 48/19 GCMS NO 2019/00143

1. जगमोहन
2. लाखन सिह पुत्रान मूडया जातियान मीना निवासीयान फुलवाडा तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. निरी मीना पत्नि सुरेश मीना निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
2. राहुल पुत्र सुरेश जरिये संरक्षक माता स्वंय निरी मीना नेचूरल गार्जियन जाति मीना निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
3. वणिया पुत्र छोटेलाल मीना निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 6/19 निर्णय दिनांक 13.9.19 न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री रिषीराम मीना

अभिभाषक रैस्पो0 संख्या 3 श्री च प्र प्रकाश जांगिड

दिनांक 16.4.25

निर्णय

प्रस्तुत दोनो अपीले अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 13.9.19 न्यायालय सहायक कलेक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम फुलवाडा की भूमि खसरा न0 2508/688 रकबा 0.50 है0 वणिया पुत्र छोटेलाल मीना के नाम खातेदारी गलत दर्ज है। जिसके बाबत दावे के मद न0 4 मे स्पष्ट दर्ज है। न्यायालय मे दावा चल रहा है। जिसके बाबत न्यायालय द्वारा दिनांक 8.2.18 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी उक्त विवादित भूमि के रिकार्ड मौके की यथास्थिति बनाये रखे , जिसे आदेश दिनांक 9.1.19 द्वारा ताफैसला दावा पुष्ट कर दिया गया परन्तु उक्त खसरा न0 आदेश दिनांक 9.1.19 मे दर्ज होने से छूट गया तथा दिनांक 31.1.19 को वणिया पुत्र छोटे ने भूमि गैरसायल संख्या 1 व 2 को विकय कर दी । जबकि उक्त भूमि पर कब्जा काश्त आज भी सायलान का चला आ रहा है। वयनामा दिनांक 31.1.19 बाबत भूमि खसरा न0 2508/688 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर नल एण्ड बोईड होने के कारण हक हकूक सायलान बेअसर है। ताहम्बी कानून की पेचिदगियो से बचने के लिए गैरसांयलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबद किया जावे कि उक्त भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

मे सायलान के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मदालखत ना तो स्वयं करे नाही किसी अन्य से करावे। उक्त भूमि के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे, भूमि को रहन बय नही करे तथा किसी प्रकार का निर्माण नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायलान/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात खसरा न0 2508/688 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति ताफैसला दावा बनाये रखे जाने हेतु गैरसायलान को पाबंद किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/गैरसायल संख्या 1 व 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात को विपक्षी संख्या 3 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से रामदयाल मीना से क्रय की है तथा अप्रार्थी वणिया से उक्त भूमि को जगमोहन व लाखन ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद किया है उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण अपीलांट काबिज है। विवादित भूमि पर सायलान/रेस्पो0 का कब्जा काश्त नही है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है। इस कारण आलोच्य निर्णय अपास्त योग्य है। विवादित भूमि के सबंध मे पूर्व मे भी निरी ने तथ्य छिपाते हुए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की थी। जैसे की सायलान द्वारा की गई फर्जीयत की जानकारी अदालत हाजा मे आई तो अदालत हाजा ने अपने आदेश दिनांक 12.3.18 मे आदेशिका दिनांक 8.2.18 मे संशोधन करते हुए यह आदेश पारित कर दिया कि खसरा न0 2508/688 अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से मुक्त रहेगा। इसके बाबजूद अधिनस्थ न्यायालय ने गैरसायलान अपीलांट को पाबंद करने मे भारी भूल की है। इसलिए आलोच्य निर्णय निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नही किया कि रजिस्टर्ड बेनामा जो अपीलांट के हक मे रजिस्टर्ड किया गया है जब तक वह सिविल कोर्ट से निरस्त नही कर दिया जाता तब तक राजस्व न्यायालय को अपीलांट के विरूद्व किसी तरह की कोई कार्यवाही करने का अधिकार नही है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने मे भारी भूल की है। सायलान/रेस्पो0 की दावा दर0 पेश करने का अधिकार नही है। सायलान का इस भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध नही है। सायलान द्वारा सजरा गलत पेश किया है सजरे के अनुसार भी सुरेश गोद चला गया तो उक्त भूमि पर से सुरेश के समस्त अधिकार समाप्त हो चुके है इस कारण आलोच्य आदेश निरस्त योग्य है। आलोच्य निर्णय की पालना मे सायलान/रेस्पो0 विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है यदि विपक्षीगण ने विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो अपीलाट

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

को भारी क्षति होगी। जिसकी प्रार्थीगण किसी तरह से क्षतिपूर्ति नही कर सकेगा। व अपीलाट का अपील पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। इसलिए आलोच्य निर्णय अपास्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 वावजूद सूचना के उपस्थित नही है। रेस्पो0 संख्या 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात को रेस्पो0 संख्या 3 द्वारा रामदयाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया था जिसको वाद मे रेस्पो0 संख्या 3 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अपीलाट को वेचान किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड केता को विधि विरूद्व रूप से पावंद किया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। यदि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तो रेस्पो0 संख्या 3 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है।

अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा न0 2508/688 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर की खातेदारी मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2074–2077 वणिया पुत्र छोटे लाल जाति मीना के नाम दर्ज रही है। वादग्रस्त आराजीयात को वणिया पुत्र छोटे लाल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अपीलांटगण को बेचान किया है। जिसकी पुष्टि पत्रावली मे उपलब्ध रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.1.19 को किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड केता/अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा स पाबंद किये जाने से अपीलांट के हक एवं अधिकार प्रभावित होते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को नजर अंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है एवं अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 6/19 मे पारित निर्णय दिनांक 13.9.19 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.5.26 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर